न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 -66 /2017

अनवान :

1. श्यामलाल पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
2. मदनलाल पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
3. अनिल पुत्र पोकरराम जाति ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
4. ज्योति पुत्री पोकरराम जाति ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।
5. रामेती पत्नी भूपसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।

– प्रार्थ

बनाम

1. नत्थूराम वल्द रूलीचन्द कौम ब्राहम्ण निवासी जोगीवाला तहसील भादरा।

– अप्रार्थ

आवेदन पत्र बाबत स्वीकृत करने रास्ता
अन्तर्गत 8(2) राज.कोलोनाईशन कण्डिसंश
सपठित धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : *वकील श्री कपूरचन्द शर्मा– प्रार्थ*
वकील श्री योगेश शर्मा – अप्रार्थी

निर्णय ***दिनांक :*** 20.2-19

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि चक 11 जे.जी.डब्ल्यू जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 282/244 के मु.न. 153 के किला नं. 17 19 व मु.न. 165 के किला नं. 17 से 19, 22 से 24 व मु.न. 197 के किला नं. 20/2 21 की कुल 2.6180 हैक्टर बारानी कृषि भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 से 2 संयुक्त से सम्भा बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 3, 5/24 व प्रार्थी संख्या 4, 1/24 हिस्स प्रार्थी संख्या 5 के 1/24 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है, प्रर्थी के पूर्व की और अप्रा की खातेदारी भूमि मु.न. 164 के किला नं. 19 से 22, मु.न. 165 के किला नं. 16/ 16/2, 25/1 व 25/2 तथा मु.न. 180 के किला नं0 5, 6 मु.न. 181 के किला नं. 9, 10 की 1.0120 हैक्टर खातेदारी भूमि है। नकल जमाबंदी मय नक्शा हर खा संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के मु.न. 165 के किला नं. 24 के पूर्व में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से पक्की सड़क जो जोगीवाला से लाखनवास जाती चुंकि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के दक्षिण की और पानी का खाला बना हुआ है, प्रार्थीगण के किला नं. 24 की दक्षिण की दक्षिणी पूर्वी कुट के प जोगीवाला–लाखनवास पक्की सड़क को क्रोस करता है, चुंकि सड़क के नीचे से खा क्रोस हेतु 2 होदिया बनी हुई है, जिसमें से एक होदी प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी भू के मु.न. 165 के किला नं. 24 की दक्षिणी पूर्वी कुट से चिपकर बनी हुई है। इसलि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थीगण उक्त होदी के उतर की और से पूर्व की और स्थित पक्की सड़क से मु.न. 165 के किला नं. 25/1 के अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से 4 फुट लम्बी व सवा आठ फुट चौड़ी जगह में से आवागमन करते रहते है, परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है, एवं अप्रार्थी प्रार्थीगण को उक्त रास्ता बंद करने की ऐलानिया तौर पर धमकी दे रहा है, अप्रार्थी की खेत की 4 फुट लम्बी व सावा आठ फुट चौड़ी अर्थात 0.00063 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता के उपयोग में आने वाली भूमि के बदले उतनी खातेदारी भूमि या प्रचलित डी.एल.सी रेट के मुताबिक रास्ता में गयी भूमि की कीमत अदा करने के लिए तैयार है, प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में कृषि कार्य के उपयोग हेतु आवागमन का उसके अलावा कोई रास्ता नही है, इसलिए प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता स्वीकृत कराने व राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को ऊपर वर्णित रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत कराने व रास्ताा का अंकन रिकार्ड में कराने की कहा तो वो ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी ने इस न्यायालय में उपस्थित आकर अपना जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण सदामत से अपनी कृषि भूमि में मौजुद चालू रास्ता से आवागमन करते रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को अब अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से रास्ता स्वीकृत करवाने की काई आवश्यकता नही है ना ही अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से कभी प्रार्थीगण ने आवागमन ही किया है। प्राथीगण व अन्य काश्तकार के लिए रास्ता मौजुद है जो नहर के चिपते हुए है तथा इसी रास्ता से प्रार्थीगण सदामत से अपनी कृषि भूमि में आवागमन करते रहे है। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन से सबसे सहुलियत भरा रास्ता अप्रार्थी की कृषि भूमि में से ही बनता है इस आशय की हल्का पटवारी से कोई तस्दीक रिपोर्ट भी नही ली है। प्रार्थीगण ने दुराशय पूर्वक बदनियति से अप्रार्थी को तंग परेशान करने के आशय से यह आवेदन पेश किया है जो काबिल खारिजी के है।

अप्रार्थी के जवाब आवेदन पेश होने के बाद तहसीलदार राजस्व भादरा से वादभूमि में रास्ता से संबधित बिन्दुवार मौका रिपोर्ट सहित पूर्ण प्रस्ताव बनाकर भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार राजस्व भादरा के पत्रांकः— भू.अ./19/84 दिनांक 15.1. 2019 के द्वारा बिन्दुवार मौका रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसमें लिखा हुआ कि "अप्रार्थी नत्थूराम वल्द रूलीराम मौके पर मु.न. 165 के किला नं. 25 मे से 3 बिस्वा रोड़ मे कटा हुआ है लेकिन मौके पर रोड़ किला नं. 25 में 3 बिस्वा मे नही है। चुंकि किला नं. 24 में 1 बिस्वा भूमि रोड़ कटा हुआ है लेकिन मौके पर किला नं. 24 में रास्ता नही है। उक्त रोड़ को मुताबिक राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।"

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। हस्तगत प्रकरण में हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ने चक 11 जेजीडब्लू के खाता संख्या 110/104 की 2.9730 हैक्टर कृषि भूमि के मु.त्रन. 165 के किला नं. 25/1 की 0.038 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि के पश्चिमी भाग के दक्षिणी और जोगीवाला—लाखनवास पक्की सड़क के पश्चिम की और बनी खाला की होदी के समान्तर होदी के उतर कि और पूर्व से पश्चिम 8—1/4 फुट चौड़ा व 4 फुट लम्बा अर्थात 0.00063 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। चुंकि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार राजस्व भादरा के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि "अप्रार्थी नत्थूराम वल्द रूलीराम मौके पर मु.न. 165 के किला नं. 25 मे से 3 बिस्वा रोड़ मे कटा हुआ है लेकिन मौके पर रोड़ किला नं. 25 में 3 बिस्वा मे नही है। चुंकि किला नं. 24 में 1 बिस्वा भूमि रोड़ कटा हुआ है लेकिन मौके पर किला नं. 24 में रास्ता नही पश्चात उक्त वादभूमि में प्रार्थी के लिये आवागमन के लिये रास्ता सुविधाजनक है एवं मौके पर उक्त भूमि के चिपते ही जोगीवाला–लाखनवास रोड़ जाता है जिससे होकर प्रार्थी अपने खेत में आसानी से जा सकता है एवं केवल चार फुट लम्बा व सवा आठ फुट चौड़ा रास्ता की मांग की गई तथा उक्त भूमि के बदले नियमानुसार कीमत अदा करने को भी तैयार है।

वकील अप्रार्थी के आपत्ति प्रार्थना पत्र में भी रिकार्डेड वैकल्पिक रास्ता का उल्लेख नही किया गया है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट वस्तुस्थिति व रिकार्ड बाबत मांगी गई है, जिसके गुणावगुण पर निर्णय हो सके। रिपोर्ट तैयार करते समय पक्षकारान की उपस्थिति आवश्यक नही है। यदि किसी पक्षकारान के पास कोई तथ्यात्मक रिकार्डेड, दस्तावेजी साक्ष्य है तो वह उन्हें अपने जवाब के साथ प्रस्तुत कर सकता है। अप्रार्थी की आपत्ति पोषणीय न होने के कारण खारिज की जाती है।

प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने काश्त हेतु रास्ता की आवश्यकता है, उसक पास कोई रिकार्डेड रास्ता मौजुद नही है। जिस रास्ता (सड़क) का रिकार्ड में उसक किला नं. 24 में 1 बिस्वा अंकन है, वह मौके पर किला नं. 24 से चार फुट दूर है यानि प्रार्थी उक्त सड़क तक पहुंच कायम करने का अधिकार रखता है। नए रास्ता संबंध दोनों प्रावधान (i) रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता (ii) वैकल्पिक रास्ता का अभाव प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अप्रार्थी यह साबित करने मे असफल रहा है कि प्रार्थीगण क पास अपने खेत में जाने हेतु वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता है। रिपोर्ट तहसीलदार में भ वैकल्पिक रास्ते का उल्लेख नही किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 सपठित धारा 8(2) कॉलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा चक 1 जेजीडब्लू के खाता संख्या 110/104 की 2.9730 हैक्टर कृषि भूमि के मु.न. 165 किला नं. 25/1 की 0.038 हैक्टर बारानी खातेदारी भूमि के पश्चिमी भाग के दक्षि और जोगीवाला–लाखनवास पक्की सड़क के पश्चिम की और बनी खाला की होदी समान्तर होदी के उतर कि और पूर्व से पश्चिम 8–1/4 फुट चौड़ा व 4 फुट लम अर्थात 0.00063 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत में किया जाता एवं रास्ता में गई भूमि के एवज में अप्रार्थी नत्थूराम को डीएलसी दर के हिसाब से रा गणना कर डीएलसी से दोगुना दर से राशि दिलवाई जावे। इसी अनुसार राजस्व रिक में रास्ता का अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-2-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी R.A.S.राज
उपखण्ड (जिला हनुमान
भादरा जिला हनुमानगढ़